

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2025 की विशेष काउन्सिलिंग के सातवें चरण द्वारा प्रवेश हेतु
दिशा-निर्देश

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2025 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के अनुसार आनलाइन काउन्सिलिंग वेबसाइट (<https://jeecup.admissions.nic.in>) के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा मोबाइल न० को पूरी काउन्सिलिंग अवधि में क्रियाशील रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओटीपी मोबाइल न० पर प्रेषित होगी। अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त ओटीपी, आवंटन-पत्र, पासवर्ड, परीक्षा परिणाम इत्यादि सूचनाएं एवं अभिलेख संदेश ऐप (Sandes App) पर भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्मार्ट फोन रखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित इस ऐप को **android** उपयोगकर्ता **Google Playstore** तथा **iOS** उपयोगकर्ता **App store** से डाउनलोड कर प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग हेतु दिये गये निर्देशों की प्रिन्ट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशों का अध्ययन कर लें। प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फार्म, सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹ 3250/- (जिसमें ₹ 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) की रसीद, सीट एलाटमेंट लेटर, डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन लेटर एवं प्रोविजनल एडमिशन लेटर की एक-एक प्रति अपने पास अलग से सदैव सुरक्षित रखें।

सातवें चरण की काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

1. सातवें चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया दिये गये काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार सम्पादित होगी। काउन्सिलिंग शिड्यूल <https://jeecup.admissions.nic.in> पोर्टल पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान रखें कि सीट आवंटन काउन्सिलिंग की समस्त प्रक्रिया आनलाइन सम्पादित होनी है, अतः विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि एवं समय का विशेष ध्यान रखा जाये।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का प्रमाण-पत्र, वैध आरक्षण प्रमाण-पत्र (ई०डब्ल्यू०एस०/ओ०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी०) एवं आरक्षण उपवर्ग प्रमाण-पत्र (दिव्यांग/सैनिक आश्रित/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित) जो लागू हो, नवीनतम मूलरूप में उपलब्ध हो। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी।
3. काउन्सिलिंग में सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹ 3250/- (जिसमें ₹ 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा), अभ्यर्थियों के लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन ही जमा होगा। प्रथम चरण से छठे चरण तक यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹ 3250/- जमा किया गया था, परन्तु काउन्सिलिंग प्रक्रिया (अभिलेख सत्यापन/संस्था में उपस्थित होकर निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा किया जाना) पूर्ण नहीं की गई थी, उन सभी अभ्यर्थियों को सातवें चरण में पुनः सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹ 3250/- (जिसमें ₹ 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) जमा करना होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के एक सहायता केन्द्र को डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के लिए चुना जायेगा। इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार करें। अभिलेख सत्यापन (डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन) के अतिरिक्त अन्य सभी काउन्सिलिंग सम्बन्धी कार्य अभ्यर्थी कहीं से भी कम्प्यूटर/टैब/स्मार्ट फोन का उपयोग कर पूर्ण कर सकता है। अभ्यर्थी चवाइस फिलिंग/पूछ-ताछ या काउन्सिलिंग से सम्बन्धित किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित राजकीय एवं अनुदानित सहायता केन्द्रों के माध्यम से करा सकते हैं। राज्य अर्हता के सम्बन्ध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ-4 पर अंकित बिन्दु-3 पर दिये गये विवरण को अवश्य पढ़ लें।
5. रजिस्ट्रेशन, विकल्प चयन एवं सीट आवंटन के पश्चात सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹ 3250/- (जिसमें ₹ 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) दिये गये







विकल्पों यथा- नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से जमा करनी होगी। काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6. अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग (संस्था एवं पाठ्यक्रम विकल्पों का चयन) का कार्य लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुप/ग्रुपों तथा आरक्षण वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। प्रवेश परीक्षा में एक से अधिक ग्रुप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सभी सम्बन्धित ग्रुप के विकल्प अपनी वरीयतानुसार भर सकेंगे। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी चुने गये विकल्पों को अपने वरीयताक्रम के अनुसार परिवर्तित कर सकेगा। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। विकल्प लॉक करने के उपरान्त उस चरण में कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते हैं।
- काउन्सिलिंग के सातवें चरण में असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी। भरे गये विकल्पों को अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी सुविधानुसार परिवर्तित कर सकता है। भरे गये विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन किया जायेगा।
 - काउन्सिलिंग के सातवें चरण में सम्मिलित निजी क्षेत्र की अल्पसंख्यक संस्थाओं में दर्शायी जा रही विशेष अल्पसंख्यक कोटा सीटें केवल अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित छात्रों के लिए ही आरक्षित हैं, अतः इन सीटों का चयन करते समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है।
7. सीट आवंटन -प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों एवं सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित विकल्पों के आधार पर केवल एक सीट आवंटित की जायेगी, भले ही अभ्यर्थी ने विभिन्न ग्रुपों के सीट विकल्पों का चयन किया हो। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आई0डी0 पर उसका आवंटन-पत्र उपलब्ध होगा।
8. सातवें चरण में आवंटित सीट स्वतः Freeze रहेगी तथा अभ्यर्थी के लिए Float का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रू0 3250/- (जिसमें रू0 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) आनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के पश्चात उसे अपने चयनित सहायता केन्द्र/डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन सेन्टर पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरन्त बाद अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अवशेष प्रवेश शुल्क निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी। यह प्रक्रिया पूर्ण न करने पर अभ्यर्थी सातवें चरण की काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।
9. डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन - सातवें चरण में आवंटित अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा प्रदेश में स्थापित किसी भी सहायता केन्द्रों पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्वःप्रमाणित छायाप्रति तथा दो फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना होगा। एक से अधिक ग्रुप में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सभी सम्बन्धित ग्रुप की न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख सत्यापन के समय जिस ग्रुप की न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे, उस ग्रुप की सीटों हेतु अभ्यर्थी को अनर्ह माना जायेगा तथा अगले समस्त चरणों में अभ्यर्थी को ऐसे ग्रुप की सीटें प्रदर्शित नहीं होंगी।
- प्रथम से छठे चरण तक यदि अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन कराया जा चुका है तो उसे पुनः अभिलेख सत्यापन कराने हेतु सहायता केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ऑनलाइन जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु जा सकता है।
10. प्रवेश शुल्क - सीट आवंटन एवं विकल्प चयन के पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रू0 3250/- (जिसमें रू0 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) आनलाइन माध्यम से जमा करेंगे। अभिलेख परीक्षण के पश्चात अवशेष शुल्क आवंटित संस्था में उपस्थित होकर जमा करना होगा। विभिन्न संस्थाओं हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण उ0प्र0 प्रवेश एवं फीस नियमन समिति की वेबसाइट www.afrcup2018.in पर एवं विवरण-पुस्तिका-2025 (Information Bulletin-2025) में प्रदर्शित है।

यदि किसी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी धनराशि की मांग की जाती है तो अभ्यर्थी प्रत्येक जनपद के राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्था में स्थापित सहायता केन्द्र अथवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के लखनऊ स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर अधिक शुल्क की मांग करने वाली संस्था की लिखित शिकायत करते हुए उस संस्था में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकता है।

11. प्रोवीजनल एडमिशन लेटर –शुल्क जमा करने एवं अभिलेख सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन से प्रोवीजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थियों का आनलाइन प्रवेश पूर्णतया अस्थायी है। प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व उपस्थित होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुल्क जमा करना होगा।
12. **Withdrawal from counseling process:** यदि कोई अभ्यर्थी वर्ष-2025-26 में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है तो अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण से पूर्व के चरण तक आवंटित सीट को खाली करते हुए जमा किया गया सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹0 3000/- वापस ले सकता है। इस विकल्प का चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी इस शैक्षिक सत्र में सभी पाठ्यक्रम गुणों में प्रवेश लेने से पूर्णतया वंचित होगा एवं किसी भी दशा में काउन्सिलिंग प्रक्रिया में पुनः सम्मिलित नहीं हो सकेगा। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी इस विकल्प के चयन से पूर्व भली-भाँति विचार करते हुए निर्णय ले।

(अ) शुल्क की वापसी अभ्यर्थी/अभिभावक के बैंक खाते में ही की जायेगी। अन्य किसी खाते में शुल्क वापसी सम्भव नहीं हो सकेगी।

(ब) इस प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी अपने लॉगिन से लिंक पर जाकर अपना स्वयं/अभिभावक का बैंक विवरण यथा- खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड, बैंक एवं शाखा का नाम भरेंगे। जमा किये गये सम्पूर्ण शुल्क की वापसी इसी बैंक खाते में की जायेगी।

शुल्क वापसी की प्रक्रिया वर्ष-2025 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात की जायेगी।

नोट : संस्थाओं में उपलब्ध छात्रावास एवं संस्था सम्बन्धी विभिन्न विवरणों हेतु कृपया सम्बन्धित संस्था की वेबसाइट का अवलोकन कर सम्बन्धित संस्था में सम्पर्क करें। अभ्यर्थी अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में बने काल सेन्टर के निम्न दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा नीचे दिये ईमेल आई0डी0 पर मेल भी कर सकते हैं :-

Spinal

Ah

SP

9L

दूरभाष: 0522-2630667, 2630106, 2630695, 2636589

ईमेल: jeecuphelp@gmail.com